'दंगल' की इमेज में बंधना नहीं चाहती थी, हर किरदार नई शुरुआत जैसा हैः फातिमा

अमित कर्ण | मुंबई

फातिमा सना शेख हाल ही में जियोहॉटस्टार पर आई सीरीज 'हुंकार' में दिखीं। उनके मुताबिक, 'मॉडर्न लव मुंबई' से लेकर 'हुंकार' की जसलीन तक उनकी कोशिश खुद को किसी एक इमेज में सीमित न रखने की रही है। फातिमा के मुताबिक, 'दंगल' उनके करियर का अहम पड़ाव जरूर है, लेकिन वह उस फिल्म या गीता फोगाट की छवि को पकड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहती थीं। हर नया किरदार उनके लिए एक नई शुरुआत है।

'दंगल' की गीता और 'हुंकार' की जसलीन अलग हैं...

फातिमा कहती हैं...'अगर मैं पिछले किरदार को पकड़कर चलूंगी तो मौजूदा किरदार नहीं कर पाऊंगी। एक्टर की उम्र, अनुभव और सोच बदलती रहती है। इसलिए हर नए किरदार के साथ खुद को फिर से ढालना जरूरी है। अलग-अलग किरदारों में एक जैसी सोच तलाशना एक्टिंग प्रोसेस को जेनेरिक बना सकता है। 'दंगल' की गीता और 'हुंकार' की जसलीन अलग दुनिया से आती हैं, इसलिए दोनों को एक नजर से देखना सही नहीं होगा। अगर हर किरदार को एक ही रंग में देखेंगे तो सब एक जैसे ही हो जाएंगे।'

किरदार को सिर्फ बाहर से ही जानना पर्याप्त नहीं...

फातिमा ने कहा...'हुंकार' में पुलिस अधिकारी के किरदार के लिए मैंने किसी खास पुलिस अफसर की बॉडी लैंग्वेज या व्यवहार को कॉपी नहीं किया। यहां मेरे लिए ज्यादा जरूरी था कि मैं यह समझूं कि यह महिला किस तरह सोचती होगी। किसी किरदार को सिर्फ बाहर से पकड़ना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। उसकी थॉट प्रोसेस समझना जरूरी है। वह किसी परिस्थिति में क्यों वैसा फैसला लेती है, उसके अंदर क्या चल रहा है, लोगों को किस तरह देखती है-इन सवालों के जवाब किरदार को भीतर से बनाने में मदद करते हैं।'

गीता के लिए मैंने एक रेसलर की बॉडी लैंग्वेज समझी थी

'दंगल' के लिए मैंने रियल लाइफ रेसलर गीता फोगाट से प्रेरणा नहीं ली बल्कि दूसरे रियल लाइफ रेसलर से प्रेरणा ली थी। मैंने गीता की बॉडी लैंग्वेज हूबहू कॉपी नहीं की। सामान्य तौर पर यह समझने की कोशिश की कि एक रेसलर की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से खिलाड़ियों में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। उनका उठना-बैठना, शरीर का इस्तेमाल, मूवमेंट और अपने शरीर को लेकर जागरूकता, इन सबको समझना जरूरी था। मेरे लिए यह किसी की नकल करने से ज्यादा उसकी दुनिया को समझना था।

मलयालम सिनेमा के महिला किरदार आकर्षित करते हैं...

फातिमा अलग-अलग रीजनल इंडस्ट्रीज में भी काम करना चाहती हैं। वे कहती हैं...'खासतौर पर मुझे मलयालम सिनेमा के महिला किरदार आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनमें महिलाओं की अपनी इच्छाएं, फैसले और नजरिया दिखाई देता है। मैं किसी भाषा के लिए नहीं, बल्कि अच्छी कहानी और चुनौतीपूर्ण किरदार के लिए, दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाहती हूं। मेरे लिए 'दंगल' जर्नी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पूरी जर्नी नहीं। हर नया किरदार मेरे लिए फिर से नई शुरुआत है।'

आलिया भट्ट और भंसाली की 'इंशाअल्लाह' पर काम फिर शुरू हुआ

आलिया भट्ट और निर्देशक संजय लीला भंसाली एक बार फिर साथ काम करने की तैयारी में हैं। दोनों की पुरानी फिल्म 'इंशाअल्लाह' को नए सिरे से बनाने की योजना है। 2019 में सलमान खान के साथ इस फिल्म का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। अब भंसाली इसकी कहानी और पटकथा में बड़े बदलाव कर इसे नए अंदाज में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल भंसाली फिल्म की कहानी पर दोबारा काम कर रहे हैं और कास्टिंग को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ऐसे में फिल्म में कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं।

आलिया-भंसाली की यह तीसरी फिल्म होगी

एक्ट्रेस और डायरेक्टर इससे पहले 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में साथ काम कर चुके हैं। अब उनकी अगली फिल्म 'लव एंड वॉर' है, जिसमें रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी नजर आएंगे। वहीं आलिया की पिछली फिल्म 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। ऐसे में भंसाली के साथ उनकी अगली फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ना तय माना जा रहा है। आलिया और भंसाली की यह साथ में तीसरी फिल्म होगी।

'दृश्यम 3' ने 4 दिन में 200 करोड़ से ऊपर कर ली कमाई

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यमः द कन्क्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म ने महज तीन दिनों में 200 करोड़ से ऊपर का ग्रॉस बिजनेस कर लिया है। भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 176.50 करोड़ पहुंच चुका है। फिल्म की इस सफलता और इसके चर्चित क्लाइमैक्स के बीच पटकथा लेखक आमिल कियान खान ने 'दृश्यम 3' के लेखन से जुड़ा दिलचस्प खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म के 100 से ज्यादा ड्राफ्ट लिखे गए थे। उनके पास तारीखों और नंबरों के हिसाब से कई फोल्डर और ड्राफ्ट मौजूद हैं। इनमें 'फाइनल', 'फाइनल 2' जैसे नामों वाली फाइलें भी हैं।

'चुंबक' का फ्लेवर 'साराभाई...' शो जैसा हैः संदीपा धर

आतिश कपाड़िया लिखित-निर्देशित शो 'चुंबक' में संदीपा धर ने अहम रोल प्ले किया है। इस शो और अपने किरदार को लेकर संदीपा ने हाल ही में दैनिक भास्कर से खास बातचीत की...

उमेश कुमार उपाध्याय | मुंबई

'चुंबक' को मिल रहे रिस्पॉन्स पर क्या कहेंगी?

बहुत खुशी हो रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र के लोग इसे पसंद कर रहे हैं। बेंगलुरु में शूटिंग के दौरान एक रेस्टोरेंट में गई तो लोग आकर 'चुंबक' के अगले एपिसोड के बारे में पूछते हैं। जब लोग आपके काम को नोटिस करते हैं तो खुशी दोगुनी हो जाती है।

शो करने की सबसे बड़ी वजह क्या रही?

सबसे बड़ी खासियत इसकी क्लीन कॉमेडी है। इसमें 'साराभाई वर्सेस साराभाई' और 'खिचड़ी' जैसा फ्लेवर भी महसूस होता है।

किरन के रोल की तैयारी कैसे की?

यह मेरे बाकी किरदारों से काफी अलग था। आतिश के साथ काफी समय बिताया। किरन के जरिए उसकी रियलिटी से ह्यूमर निकालना था, जो सिचुएशनल कॉमेडी होने के कारण आसान नहीं था। वह एयर होस्टेस है, इसलिए उसके काम करने के तरीके, हाव-भाव और बातचीत को समझने के लिए काफी स्टडी की। किरन में थोड़ा-बहुत मेरा पुट है और बाकी लोगों से भी इंस्पिरेशन ली है।

वेब शो के सेट पर सबसे खास बात क्या रही?

सभी एक्टर्स के साथ बना कनेक्शन ही सबसे खास बात रही। तीन-चार महीने साथ रहकर हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। खासकर हम लड़कियों का बहुत अच्छा कनेक्शन बना। अब हम खुद को 'चुंबक गर्ल्स' कहते हैं। नीना गुप्ता, मानसी पारेख, अमायरा दस्तूर, हेली शाह समेत हमारा एक सोशल ग्रुप है। नीना जी को हम 'नीस' कहते हैं।

साराजहां

स्लम्स में रहने वालीं घरेलू महिलाओं ने बनाई फुटबॉल टीम

केन्या के नैरोबी स्थित किबेरा बस्ती में टिन की छतों वाले छोटे घरों के बीच एक मैदान है, जहां स्थानीय महिलाओं की फुटबॉल टीम मुगुमोइन रोज अभ्यास करती है। बस्ती की तंग गलियों और सीमित सुविधाओं के बीच यह मैदान महिलाओं के लिए खेल की अपनी दुनिया है। वे यहां वार्म-अप, दौड़ और फुटबॉल ट्रेनिंग करती हैं। टीम स्थानीय महिलाओं ने मिलकर बनाई है, जिसमें अलग-अलग उम्र की खिलाड़ी शामिल हैं। किबेरा में पानी, सैनिटेशन और आवास जैसी चुनौतियां हैं, फिर भी टीम सामुदायिक जीवन का हिस्सा बनी हुई है।

संसाधनों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे दमकलकर्मी

फ्रांस में जंगलों की बढ़ती आग से दमकल सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। हाल ही में करीब 8,000 दमकलकर्मियों ने पेरिस में प्रदर्शन कर ज्यादा कर्मचारी, वाहन और हवाई संसाधनों की मांग की। 2026 में फ्रांस में करीब 98 हजार हेक्टेयर क्षेत्र जंगल जल चुके थे, जो 20 वर्षों के औसत से करीब पांच गुना अधिक है।

पैलिएटिव केयर वीक मरीजों के साथ बने रहने का संदेश

नीदरलैंड्स के निजमेजेन शहर में 3 से 10 अक्टूबर तक पैलिएटिव केयर वीक मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के आखिरी समय में दर्द कम करने के साथ उनकी भावनाओं और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए जागरूक करना है। इस दौरान कलाकार सास्किया स्टोल्ज की कलाकृति ब्लाइफ नाबिज यानी पास बने रहें भी प्रदर्शित की गई है।

फ्रंट पेज के शेष

हमने फॉर्म-6 बदलने की मंजूरी नहीं दी, एकतरफा फैसले रद्द होंगेः सुप्रीम कोर्ट...

याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने ज्ञानेश कुमार के फैसले लेने पर अंतरिम रोक की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि सीईसी को निलंबित करने पर आयोग का काम ठप हो जाएगा। चुनाव कौन कराएगा? इस पर विकास सिंह ने कहा कि दोनों निर्वाचन आयुक्त काम संभाल सकते हैं। बेंच ने कहा कि कोई आदेश देने से पहले संबंधित पक्षों का जवाब लेना जरूरी है। विकास सिंह ने मांग की कि आयोग को सिर्फ सर्वसम्मति या बहुमत से फैसले लेने का आदेश दिया जाए। इस पर सीजेआई ने कहा, इसके लिए कानून है और हमें उम्मीद है कि उसका पालन होगा। यदि उल्लंघन हुआ तो हम फैसले पलट सकते हैं। कानून के मुताबिक सर्वसम्मति या बहुमत नहीं हुआ तो कोर्ट ऐसे फैसलों को रद्द कर सकता है। कोर्ट दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश नहीं दे सकता।विकास सिंह ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग की प्रेस रिलीज समाचार रिपोर्ट में कही बातें स्वीकार करने जैसी है। इस पर सीजेआई ने कहा कि कोर्ट सिर्फ अखबारी रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं दे सकता। आयोग और केंद्र के जवाब देखना जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार एसआईआर से जुड़े फैसलों और आदेशों पर रिकॉर्ड में आपत्ति दर्ज कराई। कोर्ट ने कहा कि वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका में मांगी गई राहतें स्पष्ट क्रम में नहीं हैं। त्रिपाठी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी से जरूरत पड़ने पर मांगों में संशोधन करने को कहा गया। कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे दूसरी जनहित याचिका के साथ जोड़ दिया।

महाराष्ट्र में एसआईआर के तहत नाम हटाने पर रोक से हाईकोर्ट का इनकारः

मुंबई | बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में एसआईआर के दौरान नाम हटाने पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने कहा कि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए समानांतर सुनवाई या आदेश देना न्यायिक रूप से उचित नहीं होगा। वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा विंग अध्यक्ष सागर रमेश गवई की याचिका में घर-घर गणना के दौरान प्रक्रिया उल्लंघन और मनमाने ढंग से नाम हटाने का आरोप था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की।

₹70 करोड़ के घोटाले में पूर्व विधायक राम निवास समेत 5 पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चलेगा...

कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट, फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेज और गवाहों के बयान पर्याप्त आधार हैं। आरोपियों ने अपराध से अर्जित आय हासिल करने, छिपाने, इस्तेमाल करने और उसे वैध दिखाने में भूमिका निभाई। पीएनबी मनीमाजरा खाते के जरिए फर्जीवाड़ा हुआ। जांच में खाता कैश ब्रांच और आईटी विंग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं मिला। ईडी ने 26 अक्टूबर 2023 को ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। इसमें एचएसवीपी से जुड़े 10 खातों के लेनदेन सामने आए। बाद में घोटाले की राशि बढ़कर 225.51 करोड़ हो गई।

कोर्ट में दोनों पक्षों दलीलें

ईडीः संज्ञान लेने के स्तर पर कोर्ट को सिर्फ यह देखना होता है कि रिकॉर्ड में आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं। इस स्तर पर आरोपियों की दलीलों पर विचार नहीं किया जाता। फैसला चार्जशीट और दस्तावेजों के आधार पर होना चाहिए।

आरोपी पक्षः राम निवास के वकील ने कहा कि चार्जशीट में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि वह अपराध की कमाई जुटाने, छिपाने या इस्तेमाल करने में शामिल थे। घोटाला 2015 से 2019 का बताया गया है, जबकि राम निवास ने 2017 में वीआरएस ले ली थी। उन्होंने इसे राजनीतिक रंजिश का मामला बताया।

ईडीः पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त मौखिक और दस्तावेजी सबूत हैं। इनमें बैंक रिकॉर्ड, लेनदेन का विवरण, बैंक मैनेजर और अन्य गवाहों के बयान शामिल हैं।

आरोपी पक्षः अन्य आरोपियों के वकीलों ने कहा, 'रिकॉर्ड पर ऐसा कोई वैध और स्वीकार्य सबूत नहीं है, जिसके आधार पर कोर्ट संज्ञान ले सके। मनी लॉन्ड्रिंग का केस आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं बनता।'

ईडीः घोटाले की रकम से खरीदी गई संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। राम निवास की पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली दलील पर ईडी ने कहा कि कोई इस पर सुनवाई कर खारिज कर चुकी हैं।

संगठन-राज्यसभा टिकट से बन रही कैबिनेट फेरबदल की जमीन...

हालांकि सांसद न रहने पर भी वे संवैधानिक प्रावधान के तहत छह महीने तक मंत्री रह सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बिट्टू की तरह भाजपा पुरी का भी पंजाब विधानसभा चुनाव में उपयोग करना चाहती है।

- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भाजपा के कोषाध्यक्ष, हर्ष मल्होत्रा दिल्ली और पंकज चौधरी यूपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा में आमतौर पर एक पद की परंपरा है।
- विस्तार में एनडीए सहयोगियों पर भी विचार होगा। टीएमसी के बागी गुट के साथ शिवसेना, जदयू के प्रतिनिधित्व का सवाल है। परिसीमन व महिला आरक्षण से जुड़े संसदीय फैसलों के बाद विस्तार की संभावना है।

करिश्मा... रोहतक पीजीआई में 23 माह वेंटिलेटर पर रहने के बाद 8 साल का बच्चा स्वस्थ होकर घर लौटा...

वेंटिलेटर पर हार्ट अटैक आया, पिता भी अम्बू बैग दबाकर देते थे ऑक्सीजन : दो वर्षों तक आईसीयू ही परिवार का घर बना रहा। सोमबीर की पत्नी 2 साल तक बेटे के सिरहाने बैठी रहीं। सोमबीर भी आईसीयू में ही रहे। डेढ़ साल तक सूर्य की किरण तक नहीं देखी। 6 महीने वेंटिलेटर पर रहने के बाद जब बच्चे को हार्ट अटैक आया, शरीर की ऑक्सीजन खत्म हो गई और बदन नीला पड़ गया, तब डॉक्टरों ने तुरंत सीपीआर देकर बचा लिया। वेंटिलेटर में तकनीकी बदलाव या रुकावट आने पर सोमबीर खुद लगातार दो-तीन घंटे हाथ से अम्बू बैग दबाकर ऑक्सीजन देते थे। करीब एक माह पहले बच्चे को पूरी तरह होश आया और सबको पहचानना शुरू किया। सोमवार को स्वस्थ घोषित कर बच्चे को डिस्चार्ज किया गया। आर्थिक व भावनात्मक रूप से मदद करने वाली डॉक्टरों की टीम को परिजनों ने 'भगवान' बताया। सोमबीर ने मिठाई बांटी और मोमेंटो भेंट किए। डॉक्टरों व स्टाफ ने केक काटकर जश्न मनाया।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता एसएनआईपी खण्ड प्रथम, सिं.क्षे.वि., हनुमानगढ़

क्रमांकः- दिनांकः-

ई-निविदा सूचना संख्या 04 वर्ष 2026-27

(NIB CODE CDB2627A0036)

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु नवीन पंजीकरण नियमों के अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से पक्का खाला निर्माण कार्य चक 16 MKS की अनुमानित लागत क्रमशः 227.97 के लगभग है के कार्य हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन/ डाउनलोड की अवधि 19.09.2026 से दिनांक 09.10.2026 प्रात 11.00 बजे तक होगी। प्राप्त तकनीकी निविदाएं इलेक्ट्रोनिक फोर्मेट में https://eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 09.10.2026 को दोपहर 03.00 बजे खोली जायेगी। निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in व https://sppp.rajasthan.gov.in एवं https://cad.rajasthan.gov.in डीआईपीआर की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No.: 1 CDB2627WSOB00104

(अनूप सिंह) अधिशाषी अभियन्ता,
एसएनआईपी खण्ड प्रथम,
DIPR/C/16914/26 सिंक्षेवि, हनुमानगढ़ DDO CODE-7878

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ... the name you can BANK upon!

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच, सेक्टर 13-17, पानीपत-132103 ईमेल- cs 8293@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता (यों) एवं गारंटर (यों) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक /भारित है, जिसका सांकेतिक कब्जा बैंक/ सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे दी गई तालिका में बताई गई तिथि को **"जैसा है जहां है", जैसी है जो है तथा "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा। यह बिक्री संबधित ऋणी(यों) एवं गारंटर (रों) से बैंक/सुरक्षित लेनदार का बकाया पैसों की वसूली के लिए की जाएगी। आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका के अनुसार उल्लिखित होगी।

सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण और मालिक/गिरवी रखने वाले का नाम	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि बी) इस तारीख तक बकाया राशि सी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि डी) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	ए) आरक्षित मूल्य / बी) जमा बयाना राशि (ईएमडी) / सी) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तारीख और समय
01	**शाखा कार्यालय : एआरएमबी, पानीपत** 1. मैसर्स डीएचके एंटरप्राइजेज, जीएफ, एलजी शोरूम के सामने, सिविल रोड, समता चौक के पास, गोहाना जिला-सोनीपत-131301 2. श्री हितेंद्र पुत्र श्री बलजीत सिंह (मालिक) वार्ड नंबर 6, आदर्श नगर, गोहाना-131301 3. श्रीमती रीतू पत्नी श्री धीरज (गारंटर) 126/6, आदर्श नगर, गोहाना, सोनीपत (हरियाणा)-131301	**अचल संपत्ति का विवरणः** माप 121.36 वर्ग गज (0 कनाल-4 मरला) की संपत्ति का इक्विटेबल मॉर्गेज, जिसकी माप पूर्व से पश्चिम 17 फीट और उत्तर से दक्षिण 64 फीट 3 इंच है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैंः पूर्व में करतार सिंह का घर, पश्चिम में नीरज का घर, उत्तर में गली और दक्षिण में अन्य का प्लॉट। यह संपत्ति आदर्श नगर, गोहाना क्षेत्र में स्थित है। जिसमें शामिल है रैक्ट व किला नंबर 175//18 (8-0) यह 08 कनाल-00 मरला भूमि माप का 1/40वां हिस्सा है। खेवट नंबर 5286, खाता नंबर 5726, जमाबंदी वर्ष 2015-16 के अनुसार। इसका इंतकाल नंबर 13314 श्रीमती रीतू पत्नी श्री धीरज, पुत्र श्री बलजीत के नाम पर है, जो ट्रांसफर डीड नंबर 251 दिनांक 19.04.2022 के तहत सब-रजिस्ट्रार गोहाना के कार्यालय में पंजीकृत है।	A) 14/11/2025 30.09.2026 तक रु. 28,03,302.54/- (रु. अट्ठाइस लाख तीन हजार तीन सौ दो और चौवन पैसे मात्र) + आगे का ब्याज और शुल्क/खर्च C) 16/2/2026 D) सांकेतिक कब्जा	रु. 39,06,495/- / रु. 3,90,649.50/- / रु. 25,000/-	27/10/2026 (दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक)

नियम और शर्तें : यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में बताए गए नियमों और शर्तों और नीचे दी गई अन्य शर्तों के अधीन होगीः

1) भार : डीआरटी-II चंडीगढ़ के पास एसए नंबर 201/2026 लंबित है।
2) संपत्ति **"जैसी है जहाँ है"** और **"जैसी है जो है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर बेची जा रही हैं।
3) सुरक्षित संपत्ति को (आरक्षित मूल्य + बोली की राशि में एक बार की बढ़ोतरी) से कम कीमत पर नहीं बेचा जाएगा। न्यूनतम (पहली) बोली, आरक्षित मूल्य + बोली की राशि में एक बार की बढ़ोतरी होगी।
4) ऊपर दी गई अनुसूची में सुरक्षित संपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन इस घोषणा में किसी भी गलती, गलत बयान या चूक के लिए अधिकृत अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।
5) बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा **https://baanknet.com** वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऊपर बताई गई नीलामी की तारीख और समय पर की जाएगी।
6) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com/** और **www.pnbindia.in** देखें।
7) अधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने (यदि वे स्वीकार्य न हों), या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/टालने/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत वैधानिक बिक्री सूचना

उधार लेने वाले/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले ऊपर बताई गई रकम, साथ ही अब तक का ब्याज और अन्य खर्चों का भुगतान करें। ऐसा न करने पर प्रॉपर्टी की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और अगर कोई बकाया रकम बचती है, तो उसे ब्याज और खर्चों सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 01.10.2026 स्थान : पानीपत प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक